प्रस्तावना

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों/ स्वायत्त निकायों से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की गई निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले वे हैं जो 2017-18 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा साथ-साथ वे मामले भी हैं जो कि विगत वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु उन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। जहां भी आवश्यक है, 2017-18 से अनुवर्ती अवधि से सम्बन्धित मामलों को सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी (मार्च 2002) किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।